रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2013/आषाढ़ 13, 1935

No. 331] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2013/ASADHA 13, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2013

सा0का0नि0 462(अ).—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल हिंदी अधिकारी भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक निदेशक (राजभाषा), समूह "क" (गैर योधक पद) भर्ती नियम, 2013 है।

   (2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** :- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति :

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या ;

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :–** इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड–3 (15,600 – 39,100 रुपए) और ग्रेड वेतन 5,400/– रुपए	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में भी लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नतिः ऐसे सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर जिन्होंने सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) और निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) की श्रेणी में तीन वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा की है ।
टिप्पण 1 – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु वह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण** 2 – प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे क्रेन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके(जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड हैं, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति :–

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी,

(क) (i) जो सदृश्य पद या समतुल्य पदधारण किए हुए हैं।

(ii) वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रु0) और ग्रेड वेतन 5,400 रू0 की श्रेणी में ऐसे कार्मिक जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों, अर्थात् :–

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री या समतुल्य और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रुप में रहा हो ।

(11)

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के रुप में रह हो ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी विषय के रुप में रहा हो।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री या समतुल्य और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रुप में रहा हो ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री या समतुल्य और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के रुप में रहा हो ।

टिप्पण 1– पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3– प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को सतावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4– प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले, या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके(जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तरित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – **अध्यक्ष** 2. महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – **सदस्य** 3. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – **सदस्य** 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय – **सदस्य**	संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से छूट प्राप्त है।

[फा. सं. आर.IX–1/2012–सीआरपीएफ–मंत्रा0]

दिनेश माहुर, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2013

G.S.R. 462(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Hindi Officer Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) Group "A" post in the Central Reserve Police Force, in the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Assistant Director (Official Language), Group"A" (Non combatised post) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, Classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.**— The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .**— No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number Of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Assistant Director (Official Language)	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted (Non-Ministerial)	Pay Band -3 (Rs 15,600- 39,100) and Grade Pay Rs. 5400/-	Selection post

Age limit for Direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made

(11)

Promotion : Subedar Major (Hindi Translator) with two years regular service in the grade failing which three years combined regular service in the grades of Subedar Major (Hindi Translator) and Inspector(Hindi Translator).

Note 1. - Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.

Note 2. - For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

DEPUTATION :

Officers of the Central Government or the State Government;

a (i) holding analogous post or equivalent post; or

(ii) personnel in the grade of Pay Band -3 (Rs. 15,600- 39,100) and Grade Pay Rs. 5400/- with two years regular service in the grade; and

(b) possessing the following qualifications, namely :-

Master's degree from recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at degree level; or

Master's degree from recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at degree level ; or

Master's degree from recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English as subjects at degree level ; or

Master's degree from recognized University or equivalent in any subject in Hindi medium and with English as a subject at degree level ; or

Master's degree from recognized University or equivalent in any subject in English medium and with Hindi as a subject at the degree level.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty seven years as on the date of receipt of application.

Note 4.- For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

2951 GI/18-2.

If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union public service commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of : - 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force -Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs- Member	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission.

[F. No. R.IX-1/2012-CRPF-Min.]

DINESH MAHUR, Director(Pers.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.